ई–मेल/आज ही जारी हो ।

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प. 12 (6) शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश /2014 पार्ट जयपुर दिनांक 19-12-17

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत् गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017–18 में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक – बालिकाओं के भौतिक सत्यापन हेतु तिथि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 09.09.2017, 31.10.17 एवं राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर के पत्र क्रमांक 10503 दिनांक 13.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा **12(1)(ग) के तहत् शैक्षिक सत्र 2017–18 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर** नवप्रवेशित व पूर्व सत्रों के क्रमोन्नत बालक–बालिकाओं के भौतिक सत्यापन हेतु संदर्भित पत्र द्वारा टाइमफ्रेम जारी किया गया था। इस टाइमफ्रेम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

क्र.सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	निर्धारित तिथियाँ
2	विद्यालयों द्वारा रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	27.12.2017 तक
3	सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना	06.01.2018 तक

इस सम्बन्ध में निम्नांकित कार्यवाही की जानी हैः–

1. संशोधित टाइमफ्रेम को प्राइवेट स्कूल वेब–पोर्टल पर एनआईसी के माध्यम से अपलोड करावें।
2. एनआईसी के माध्यम से प्राइवेट स्कूल वेब–पोर्टल पर उक्त टाइमफ्रेम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करावें।

भवदीय

(उमा शंकर त्रिपाठी)
व. शासन उप–सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त राप्राशिप, जयपुर।
4. श्री विनोद जैन, तकनिकी निदेशक एवं प्राइवेट स्कूल पोर्टल प्रभारी, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. राज्य समन्वयक, पीएसपी–सीसी, शिक्षा संकुल जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

व. शासन उप–सचिव

www.rajteachers.com